

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 11/18
संस्थापन दिनांक:-22/01/18
फाईलिंग नं. 27/2018

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. अम्मीलाल पिता गुदन उर्फ बुदेसिंह इवने, उम्र 35 वर्ष
निवासी बंजारी ढाल, थाना आमला जिला बैतूल
2. यशवंतसिंह पिता गजराज सिंह, उम्र 65 वर्ष
निवासी ससाबड़, थाना आमला, जिला बैतूल

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 22.01.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त अम्मीलाल के विरुद्ध धारा 279 भा0दं0सं0 एवं 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.12.2017 को समय दोपहर 02.30 बजे स्थान थाना आमला से 07 किलोमीटर उत्तर में ग्राम आवरिया लोहार ढाना जोड़ मेन रोड पर मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस एवं बीना बीमा के चलाया तथा अभियुक्त यशवंत पर धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.12.2017 को समय दोपहर 02.30 बजे स्थान थाना आमला से 07 किलोमीटर उत्तर में ग्राम आवरिया लोहार ढाना जोड़ मेन रोड पर मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को बिना अनुज्ञप्ति धारक अम्मीलाल को वाहन चलाने को दिया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी बुधियाबाई दिनांक 24.12.2017 को मीराबाई के साथ बच्चों को देखने पांडुर्णा पैदल जा रही थी। तभी करीब 2.30 बजे लोहार ढाना जोड़ ग्राम आवरिया में मेन रोड पर पीछे से अम्मी ने तेजी व लापरवाही से मोटर सायकिल चलाकर उन्हें टक्कर मार दी जिससे उसे दोनों घुटनों व चेहरे पर तथा मीराबाई को चेहरे व दाहिने हाथ में चोट आयी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 659/17 पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त से मोटर सायकिल क्र.

एमपी-48-बी-6679 मय रजिस्ट्रेशन बुक के जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र दिया गया। अभियुक्त के पास ड्रायविंग लायसेंस न होने से एवं वाहन बीमित न होने से अभियुक्त अम्मीलाल के विरुद्ध धारा 3/181, 146/196 मोटर यान अधिनियम तथा अभियुक्त यशवंत के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी एवं आहत का अभियुक्त अम्मीलाल से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त अम्मीलाल को धारा 337(दो काउंट में) भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त अम्मीलाल के विरुद्ध लगे धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम तथा अभियुक्त यशवंत के विरुद्ध लगे धारा 5/180, 146/196 मोटरयान अधिनियम के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये। मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त अम्मीलाल ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
2. क्या अभियुक्त अम्मीलाल ने घटना के समय मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाया ?
3. क्या घटना के समय अभियुक्त यशवंत ने मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलावाया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

विचारणीय प्रश्न क. 01 का सकारण निष्कर्ष

7 बुधियाबाई (अ.सा.-1) एवं मीराबाई (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वे अभियुक्तगण को जानती हैं। दिन के लगभग 2-2.30 बजे वे ग्राम लोहारढाना से पैदल जा रहे थे, तभी पीछे से अभियुक्त अम्मीलाल ने मोटर सायकिल से टक्कर मार दी। बुधियाबाई (अ.सा.-1) ने आगे यह भी बताया है कि उसके द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की गयी थी। उपर्युक्त दोनों ही साक्षीगण से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त अम्मीलाल ने वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षीगण ने बचाव अधिवक्ता के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त अम्मीलाल वाहन को धीरे चला रहा था, लापरवाही से नहीं चलाया था।

8 साक्षी बुधियाबाई (अ.सा.-1) एवं मीराबाई (अ.सा.-2) ने अपने कथनों में अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा वाहन क्र. एमपी-48-बी-6679 को चलाकर उन्हें टक्कर मारना बताया है परंतु अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने से पूर्णतः इनकार किया है। स्वयं फरियादी एवं आहत के द्वारा अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने से इनकार किया गया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त अम्मीलाल ने मोटर सायकिल क्र. एमपी 48 बी-6679 को उपेक्षा एवं लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

विचारणीय प्रश्न क. 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

9 बुधियाबाई (अ.सा.-1) एवं मीराबाई (अ.सा.-2) ने अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा उन्हें पीछे से मोटर सायकिल क्र. एमपी-48-बी-6679 से टक्कर मार दिया जाना बताया है तथा उपर्युक्त साक्षीगण प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा वाहन चलाये जाने के अपने कथन पर अखंडित हैं। इस प्रकार अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा घटना दिनांक को वाहन चलाया जाना पूर्णतः स्थापित है। अभियुक्त अम्मीलाल के उपर घटना दिनांक को वाहन बिना लायसेंस एवं बिना बीमा के चलाये जाने का भी आरोप है। मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन चालक पर वाहन का वैध बीमा होना तथा वैध लायसेंस का होना प्रमाणित करने का भार होता है। अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक को वाहन का वैध बीमा होने एवं अभियुक्त अम्मीलाल का वैध लायसेंस होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। साथ ही अभियुक्त यशवंतसिंह के द्वारा जो कि वाहन का स्वामी है, वाहन को अभियुक्त अम्मीलाल को वाहन के मय बीमा एवं लायसेंसधारी चालक को दिये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह उपधारित किया जायेगा कि घटना दिनांक को अभियुक्त अम्मीलाल के द्वारा वाहन क्र. एमपी 48 बी-6679 को बिना वैध बीमा एवं लायसेंस के चलाया गया तथा अभियुक्त यशवंतसिंह के द्वारा वाहन क्र. एमपी 48 बी-6679 का स्वामी होते हुए वाहन को बिना वैध बीमा के एवं बिना लायसेंस धारी को चलाने के लिए दिया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

10 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अम्मीलाल ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया किंतु अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त अम्मीलाल ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को बिना लायसेंस एवं बीमा के चलाया तथा अभियुक्त यशवंत ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपने आधिपत्य की मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 को बिना अनुज्ञप्ति धारक अम्मीलाल को वाहन चलाने को दिया तथा उक्त वाहन को बिना बीमा के चलवाया। फलतः अभियुक्त अम्मीलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त अम्मीलाल को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196 एवं अभियुक्त यशवंत को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

11 अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

14 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। उनके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्तगण मजदूर पेश होकर उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं। अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्तगण द्वारा मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध किया जाना प्रमाणित हुआ है। अतः उन्हें अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

15 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्तगण द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 5/180, 146/196 के तहत अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्तगण अपने कृत्य की प्रकृति व

उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम थे, अतः उन्हें परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

16 अभियुक्तगण के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त अम्मीलाल के विरुद्ध धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम एवं अभियुक्त यशवंत के विरुद्ध धारा 5/180, 146/196 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। फलतः उभयपक्ष के तर्कों को विचार में रखते हुए एवं अभियुक्तगण की आर्थिक स्थिति तथा उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा को विचार में रखते हुए अभियुक्तगण को निम्नानुसार अर्थदंड से दंडित किया जाता है :-

नाम अभियुक्त	धारा	अर्थदंड	जुर्माना अदा न करने की दशा में सश्रम कारावास
अम्मीलाल पिता गुदन उर्फ बुदेसिंह इवने	3/181 मो.अधि.	100/-	7 दिवस
	146/196 मो. अधि.	500/-	15 दिवस
यशवंतसिंह पिता गजराज सिंह,	5/180 मो.अधि.	200/-	7 दिवस
	146/196 मो. अधि.	500/-	15 दिवस

17 प्रकरण में जप्तशुदा मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 48 बी-6679 मय रजिस्ट्रेशन के वाहन स्वामी यशवंतसिंह पिता गजराज सिंह, निवासी ससाबड़, थाना आमला, जिला बैतूल को प्रदाय की जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

18 अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)